सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 341 राँची, सोमवार, 8 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
29 मई, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
26 मई, 2017

संख्या-एल०जी०-10/2017-57/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल दिनांक 23 मई, 2017 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश,2017
(झारखंड अध्यादेश संख्या-01, 2017)

उद्देशिका

चूँकि, झारखण्ड राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा-90 (4) का प्रतिस्थापन करने के लिए, इसमें आगे दी गई रीति से तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

इसलिए, अब भारत का संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

I. यह अध्यादेश 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2017' कहलाएगा ।

II. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

III. यह निर्गत करने की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) का प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 (4) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा घरेलु एवं गैर-घरेलु (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ की जानेवाली जलापूर्ति के लिए उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय ।

परन्तु यह कि ऐसी दर में जहां तक व्यवहार्य हो, जल संकर्म (वाटर वर्क्स) संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यह्रास तथा ऋण शोधन एवं अन्य प्रभार, और वितरण लागत, वितरण-हानि, यदि कोई हो, सहित, सभी आच्छादित होंगे ।"

भारत के संविधान के अनुछेद 213 के खंड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 मई, 2017

संख्या-एल०जी०-10/2017-58/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई, 2017 को अनुमत झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Ordinance, 2017

(JHARKHAND ORDINANCE, 01, 2017)

Preamble

Whereas the Assembly of Jharkhand State is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action hereinafter to substitute the Proviso of Section – 90 (4) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article – 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance –

1. Short title, extend and commencement –
   (i) This ordinance may be called the Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Ordinance, 2017.
   (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
   (iii) It shall come into from the date of its issuance.
2. Substitution of Section – 90 (4) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000.

Section 90 (4) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000 is substituted as follows:-

"For supply of water for domestic and non-domestic (commercial) purposes by Jharkhand Mineral Area Development Authority under section 90 (4) payment shall be made at such rate as may be prescribed by Urban Development and Housing Department, Jharkhand or by agency authorized by it from time to time.

Provision that such rate shall, as far as practicable, cover the costs on account of management, operation, maintenance, depreciation, debt servicing, and other charges related to water works and distribution costs, including distribution losses, if any."

Under Article – 213 clause (1) of the Constitution of India, this Ordinance is promulgated by me.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 341--50